कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

पत्रांक 1829 दिनांक 07-01-2021

<u>ई–निविदा सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम सीमान्तर्गत काठगोदाम से बरेली रोड, मण्डी तिराहा तक 195 विद्युत पोलों पर तथा कालाढूंगी चौराहे से मुखानी चौराहे तक 32 विद्युत पोलों कुल 227 विद्युत पोलों पर 2.5 X 3.5 के विज्ञापन प्रदर्शन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से टू बिड आधारित निविदायें इलेक्ट्रॉनिक रूप मे http:/www.ukTenders.gov.in के माध्यम से दिनांक 08.01.2021 से दिनांक 22.01.2021 तक अपरान्ह 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। अपरिहार्य कारणों को छोडकर तकनीकी एव वित्तीय बिड दिनांक 22.01.2021 अपरान्ह 3.00 बजे आवंटन समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय के कक्ष संख्या–07 एवं बेबसाईट www.nagarnigamhaldwani.in/ www.ukTenders.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। अपरिहार्य कारणों से ई–निविदा को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त मे निहित होगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

प्रतिलिपि:–

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र इकोनोमिक्स टाइम्स दिल्ली-एन.सी.आर. एडीशन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित मे न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 40 वर्ग सेमी. पठनीय स्पेस मे न्यूनतम निर्धारित दरों मे जयपुर संस्करण में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की निशुल्क दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अधिकतम 40 वर्ग सेमी. पठनीय स्पेस में न्यूनतम निर्धारित दरों मे उत्तराखण्ड संस्करण मे प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की निःशुल्क दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. मैसर्स स्वास्तिक सॉफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्विसेज को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को नगर निगम की बेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के नोटिस बोर्ड मे चस्पा किये जाने हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

ई–निविदादाताओं के लिये पूर्व नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नैनीताल बरेली रोड व कालाढूगी रोड आदि क्षेत्रों में पौल क्योस्क की निविदा शर्तें एवं प्राविधान

1. नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत काठगोदाम से बरेली रोड नवीन मण्डी तिराहा तक 195 विद्युत पोलों पर तथा कालाढूगी चौराहे से मुखानी चौराहे तक 32 विद्युत पोले कुल 227 विद्युत पोलों पर पौल क्योस्क के प्रर्दशन के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रीमीयम एवं विज्ञापन कर हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

2. ई–निविदा के तकनीकी बिड की मूल प्रति/हार्ड कापी, दिनांक 22.01.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे तक निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाला जाना होगा। जिन्हें अपरिहार्य कारणों को छोड़कर दिनांक 22.01.2021 को ही अपरान्ह 3.00 बजे विज्ञापन नियमावली के अनुसार आवंटन समिति के समक्ष खोली जायेगी। तत्पश्चात् तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

3. नगर निगम हल्द्वानी द्वारा पौल क्योस्क अवस्थापना एवं विज्ञापन प्रर्दशन मय प्रीमीयम हेतु न्यूनतम प्रीमीयम धनराशि रूपया 2048350/– (बीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ पचास) रूपये मात्र वार्षिक निर्धारित हैं। 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अलग से देना होगा। विज्ञापनकर्ता को निगम द्वारा प्रस्तावित प्रीमीयम की 10 प्रतिशत धनराशि रू0 2,04,835/–(दो लाख चार हजार आठ सौ पैंतीस) एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 के माध्यम से नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी के नाम बन्धक (प्लज) कर तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ जमा करनी अनिवार्य होगी। निविदादाता द्वारा प्रस्तावित धनराशि की अवशेष 10 प्रतिशत की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/ सी0डी0आर0 निविदा स्वीकृति के पश्चात तुरन्त जमा करनी अनिवार्य होगी।

4. निविदा को ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार की ई–टैण्डर बेबसाईट www.uktenders.gov.in पर ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

5. निविदादाता द्वारा विद्युत पोलों पर लगाये जाने वाले पौल क्योस्क में विज्ञापन हेतु किसी प्रकार का चलचित्रयुक्त विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा। विद्युत पोल क्योस्क पर विज्ञापन विद्युत पोल के दोनों ओर प्रदर्शित किये जायेंगे।

6. स्वीकृत निविदादाता की निविदा अनुबन्ध किये जाने की तिथि से दो वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

7. विज्ञापन फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। जिसका समस्त शुल्क सम्बन्धित फर्म/एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

8. यातायात एवं जन सुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा शासन/प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

9. निविदादाता द्वारा अपने दरें स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में लिखे जायेंगे, भिन्नता की स्थिति में शब्दों में दर्ज धनराशि मान्य होगी।

10. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृति होने पर वार्षिक निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 6 माह के अन्दर निगम कोष मे जमा करानी अनिवार्य होगी।

12. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उपरोक्त साइटो मे से 04 व पोल क्योस्क साइटे सरकारी विज्ञापन के लिए आरक्षित रखनी होगी।

13. किसी पोल क्योस्क के साइट पर विवाद की स्थिति मे साइट घटाने/बढ़ाने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।

14. नगर निगम के डिफॉल्टर व बकायेदार व उनके सगे सम्बन्धी निविदा मे भाग लेने के पात्र नही होगे।

15. विद्युत पोलो मे लगाये जाने वाले पोल क्योस्क का साईज 3.5 फिट X 2.5 फिट से अधिक का नही होगा।

16. पोल क्योस्क इस प्रकार का लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो अधिकृत फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।

17. पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/निर्धारित माप मे ही लगाये जायेगे। स्वीकृति स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नही लगाये जायेगे।

18. पोल क्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वय के व्यय पर लगाये जायेगे। निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध मे कोई धनराशि देय नही होगी।

19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादो जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नही किये जायेगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लघंन किया जाता है तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

20. पोल क्योस्क पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शनों की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोल क्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वय के व्यय पर करना होगा।

21. पोल क्योस्क के रखरखाव, रंगाई पुताई, सफाई आदि सम्बन्धी खर्च भी फर्म को स्वयं वहन करना होगा।

22. भविष्य मे यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई पोल क्योस्क को हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा।

23. किसी विवाद की स्थिति मे नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी का निर्णय अन्तिम होगा।

24. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी मे निहित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति मे अपीलीय अधिकारी नियमावली के नियम 37 के अनुसार जिलाधिकारी

महोदय नैनीताल का होगा। किसी भी न्यायालय संबंधी वाद के लिए क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के जिला न्यायालय/न्यायालयों मे होगा।

25. निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष तक पोल क्यौस्क सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत धनराशि वापस की जायेगी।

26. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप मे दी गई एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

27. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय–समय पर जारी नगर निगम/शासन/प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

28. कतिपय परिस्थितियोंवश जब तक पुनः निविदा न हो जाय ऐसी स्थिति में स्वीकृत फर्म को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

29. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलो पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से पोल क्योस्क नहीं लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत पोल क्यौस्क लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिए ब्लेकलिस्ट कर दिया जायेगा।

30. पोल क्यौस्क पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा।

31. पोल क्योस्क पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी निविदादाता/फर्म को स्वयं करनी होगी।

32. निविदादाता को अपने आवंटी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वालपेंटिग यूनिपोल, बिजली खम्बो लगे क्योक्स व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टो आदि को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वय का होगा। हटाये गये अनाधिकृत विज्ञापनो व पोल क्यौस्क की सूची स्थलवार प्रत्येक माह नगर निगम कार्यालय को उपलब्ध करानी आवश्यकीय होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध मे अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय मे वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिए ब्लेकलिस्ट कर दिया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष य अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट या कार्टेल या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जायेगी तथा उसे ब्लेकलिस्ट किया जायेगा।

33. निविदादाता द्वारा उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एव विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 के सभी शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

34. स्वीकृत निविदादाता के निविदा धनराशि का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 भी अनिवार्य रूप से देना होगा तथा समय–समय पर शासन/प्रशासन द्वारा करो मे संशोधन किये जाने पर स्वीकृत निविदादाता को संशोधित दरों के आधार पर करो का भुगतान स्वीकृत निविदा के अतिरिक्त देना अनिवार्य होगा।

विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क विज्ञापन की तकनीकी शर्ते–

1. संस्था/फर्म पंजीकृत हो। (प्रमाण–पत्र सलग्न)
2. संस्था/फर्म निविदादाता फर्मो का PAN व GST registration certificate प्रमाण पत्र सलग्न करने होंगे।
3. निविदादाता फर्मो को सी0ए0 द्वारा सत्यापित विगत 03 वर्षों की बेलेंस शीट।
4. विगत 03 (17–18, 18–19, 19–20) वर्षो मे फर्मो द्वारा औसतन 30 लाख का टर्नओवर।
5. संस्था के पास विगत तीन वर्षों मे विज्ञापन सम्बन्धित क्षेत्र (सरकारी/अर्धसरकारी/स्थानी निकाय/जिला पंचायत इत्यादि) मे न्यूनतम 50 लाख का कार्यनुभव।
6. सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों मे विगत तीन वर्षो में कम से कम रू0 50 लाख कार्य के तीन संतोषजनक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र।
7. विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रस्तावित धनराशि का 10 प्रतिशत रू0 2,04,835/–(दो लाख चार हजार आठ सौ पैंतीस) रूपया मात्र की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 सलग्न करनी होगी।

कर अधीक्षक
सदस्य/सचिव आवंटन समिति

सहायक अभियन्ता
सदस्य आवंटन समिति

लेखाधिकारी
सदस्य आवंटन समिति

सहायक नगर आयुक्त
सदस्य आवंटन समिति

नगर आयुक्त
अध्यक्ष आवंटन समिति